1

भारतीय न्यायिक प्रणाली

(मेरठ कालेज, मेरठ द्वारा आयोजित नेशनल सेमिनार के अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्थल जी का सम्बोधन)

नमस्कार

गुरूवर/कविवर डा0 हरि ओम पवार जी को मेरा सादर नमन,

श्रद्धेय श्री दयानंद गुप्ता जी,

मेरे बड़े भाई श्री अरविन्द नाथ सेठ,

डा0 एन0 पी0 सिंह, प्रधानाचार्य मेरठ कालेज, मेरठ,

डा0 एम0 पी0 वर्मा, संयोजक सेमिनार,

डा0 हरबंस दीक्षित जी,

उपस्थित अध्यापक वर्ग,

प्रिय विद्यार्थीगण एवमं

देवियों और सज्जनों

माँ शारदा की पीठ मेरठ कालेज मेरठ में मै हमेशा कुछ सुनने व गुनने आया करता था। इस बार भी बुद्धिजीवियों के संरक्षक में भारतीय न्यायिक प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त करने हेतु ही उपस्थित हुआ हूँ। परन्तु औपचारिकतावश दो शब्द कहने का अनुरोध है। अतः दो शब्द या दो बात तो नही परन्तु दो लघु कथाओं के माध्यम से अपनी बात कहकर समाप्त कर देना चाहता हूँ।

भारतवर्ष में देवादिकाल से सभी कार्य धर्मानुसार किये जाने की परंपरा व प्रणाली है। धर्म ही न्याय है। धर्म ही सत्य है। धर्म ही हमारे नैतिक मूल्य, सभ्यता व संस्कति का आधार है और धर्म ही मानवजाति के उत्थान का एक मात्र साधन है।

कालिदास की अमरकृति 'अभिज्ञान शाकुन्तलम' में एक प्रसंग एक धनाढ्य व्यापारी धनमित्रा का आता है। यह व्यापारी जहाज डूबने के कारण मारा जाता है। उस समय तक उसको कोई संतान नही थी। उसकी संपति का विवाद राज दरबार के एक मंत्री के सामने प्रस्तुत होता है। मंत्री अपने निर्णय से उस व्यापारी की सारी संपति राजकोष में जमा करने का र्निदेश देता है क्योंकि उसके पश्चात उसका कोई पुत्र उत्तराधिकारी के रूप में नहीं था। अपील में जब प्रकरण राजा दुष्यंत के समक्ष पहुंचता है तो वह एक जांच का आदेश देते हुए यह पता लगाने का आदेश करते हैं कि क्या मृत्यु के समय उस व्यापारी की कोई पत्नी गर्भावस्था में तो नहीं थी। जाँच के उपरान्त राजा को बताया जाता है कि व्यापारी की एक पत्नी उस समय गर्भावस्था में थी और बाद में एक पुत्र को जन्म देती है। राजा दुष्यंत मंत्री के निर्णय को रद्द करते हैं और आदेश देते हैं कि व्यापारी की सभी सम्पत्ति उसके बाद जन्मे उसके बेटे को धर्मानुसार किया गया न्याय वास्तव में यही है।

इस सम्बन्ध में यहाँ डा0 एस0 राधा कृष्णनन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति को उद्यत करना उचित होगाः–

"Law is King of Kings;
Nothing is superior to law;
The law added by the power of the king
enables the weak to prevail over the strong."

हिन्दू काल में इसी प्रकार का एक प्रसंग पोरस के दरबार का सुनने में आता है।

पोरस के सामने दरबारी दो भाईयों को प्रस्तुत करते हैं जिनके बीच आपसी बंटवारे के पश्चात भी एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोनों भाईयों को पिता की मृत्यु के पश्चात खेती की आधी–2 जमीन प्राप्त होती है और दोनो भाई खुशी–2 सुचारू रूप से अपने–2 हिस्से की जमीन को जोतने बोने लगते हैं। एक दिन बड़े भाई को हल चलाते वक्त अपने हिस्से के खेत

में एक घड़ा अशर्फियों से भरा मिलता है। वह उसे लेकर अपने छोटे भाई के पास जाता है और उसके बंटवारे की बात करता है। छोटा भाई बंटवारे को यह कहकर मना करता है कि बंटवारा तो हो चुका है और अब जो वस्तु तुम्हारे हिस्से के खेत में प्राप्त हुई है वह तुम्हारी है। उसका बंटवारा संभव नही है।

उस समय पोरस के दरबार में एलेक्जेन्डर दी ग्रेट उपस्थित था। पोरस ने तुरन्त निर्णय लिया और कहा कि अशर्फियों का घड़ा एलेक्जेन्डर को भेंट किया जाए क्योंकि वह धन का लोभी है और इसी इच्छा से भारत पर आक्रमण के लिए आया है।

कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि लोभ और माया ही अन्त्तोगत्वा सभी विवादों का मूल है। न्याय प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमे विवादों का निपटारा ही नहीं परन्तु विवाद ही उत्पन्न न हो ऐसी व्यवस्था बन सके।

कानून अधिक, उनका उल्लंघन अधिक। अतः अदालतों में मुकदमों का अंबार है जिसे अच्छी से अच्छी न्याय व्यवस्था संभालने में अक्षम है।

मुगलों का शासन भी न्यायव्यवस्था के लिए इतिहास में जाना जाता है। बादशाह जहांगीर को तो "जहांगीर दी जस्ट" की उपाधि से भी सम्बोधित किया जाना उसका कारण है।

जहाँगीर के समय फरियादी रात और दिन किसी भी समय दरबार में हाजिर होकर अपनी फरियाद कर सकता था। एक रात शाही महल से एक तीर अंजान धोबी की जान ले लेता है। उसकी विधवा विलाप करती है पर यह जानकर कि यह तीर किसका है वह अपने निर्दोष पति के लिए इंसाफ की दुहाई नहीं करती है। एक व्यक्ति उसे सहारा देता है और उसे बादशाह से इंसाफ की मांग के लिए प्रेरित करता है। रात में ही वह उसे लेकर शाही महल के फाटक पर पहुँच जाता है और धोबी की विधवा को न्याय का घंटा बजाने को कहता है। असहाय विधवा रस्सा खींचने में भी असमर्थ रहती है। वह पूरी ताकत से रस्सा खींचती है फिर भी घंटा नहीं

बजा पाती। वह अजनबी व्यक्ति उसको एक हाथ से सहारा देता है और घंटा बजाने में उसकी मदद करता है। घंटा बजते ही जहांगीर महल के झरोखे में हाजिर होता है और संक्षेप में बात सुन सुबह दरबार में हाजिर होने को कहता है। अगले दिन दरबार लगता है और जांच में यह पता चलता है कि तीर चलाने वाला कोई और नही बेगम नूरजहाँ हैं। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। महारानी को सजा देना क्या सम्भव है? परन्तु बादशाह जहांगीर फैसला सुनाते हैं और विधवा को र्निदेश देते हैं कि परपंरागत आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ और जान के बदले जान जैसे दण्ड के अनुसार तुम भी बेगम के पति के प्राण ले सकती हो। इंसाफ हुआ और इस फैसले से एक नया सिद्धांत उत्पन्न हुआ वह सिद्धांत था "सोवेरियन इम्यूनिटी" का जिसके तहत राजा को सजा नहीं दी जा सकती। इसी प्रकरण से फरियादी को अपने लिए कानूनी मददगार लेने का सिलसिला भी प्रारम्भ हुआ। मुगल काल में ही वकील व वकील–ए–सदर की नियुक्ति होना प्रारम्भ हुआ।

अंग्रेजों के साम्राज्य में भी न्यायियक प्रक्रिया को नयी दिशा मिली। अंग्रजी शासकों ने भारतीय विधि व्यवस्था को कोडिफाई कर देश को सूबों, परगनों व जिलों की इकाइयों में बांटकर जिलास्तर पर कलेक्टरों की नियुक्ति व मुहासिल दीवानी अदालतों व मुहासिल फौजदारी अदालतों की स्थापना की और उच्चस्तर पर कलकत्ता व सदर दीवानी अदालत व सदर निजामत अदालत प्रारम्भ की। छुटपुट सम्पत्ति के विवादों के निपटारे के लिए लघुवाद न्यायलयों का प्रचलन किया गया। इसी काल में सी0 पी0 सी0, सी0 आर0 पी0 सी0 एवं इविडेंस एक्ट आदि लिपिबद्धरूप में प्रदान की गयी। अन्ततोगत्वा ब्रिटिश पार्लियामेंट के इण्डियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 से भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई।

इसी ब्रिटिश न्यायियक प्रणाली के आधार पर स्वतंत्रता पश्चात भारत में लोगों ने अपने आपको एक संविधान दिया। आज उसी भारत के संविधान के अन्तर्गत तीन स्तरीय न्यायियक प्रणाली हमारे देश में कार्य कर रही है।

उच्चतमस्तर पर सुप्रीम कोर्ट, फिर उच्च न्यायालय व फिर जिलास्तरीय न्यायालय।

उच्चतम न्यायालय में न केवल केन्द्र व राज्य और राज्य अथवा राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद वरन् सिविल और क्रिमिनल अपील के विवादों के निपटारे की व्यवस्था है, साथ–2 उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति को अवश्यक्तानुसार सलाह देने की शक्ति भी निहित है। सबसे महत्वपूर्ण शक्ति अनुच्छेद 32 के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की है। कुछ इसी प्रकार की शक्ति अनुच्छेद 226 के अन्नर्गत उच्चन्यायलयों में भी निहित है और वह इस शक्ति का प्रयोग विवेकानुसार न्यायहित में नागरिकों के मौलिक व अन्य अधिकारों की सुरक्षा हेतु कर सकते हैं।

लगभग ढाई दशकपूर्व पब्लिक इनटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से भी उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय भारत में सामाजिक व न्याय व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।

हमारी न्याययिक व्यवस्थ कितनी भी अच्छी व सृदृढ क्यों न हो परन्तु प्रश्न उठता है क्या आज हम वास्तव में न्याय कर रहे हैं या दे पा रहे हैं। न्याय किसी व्यवस्था या प्रणाली पर निर्भर नहीं करता। न्याय के लिए एक सामाजिक व्यवस्था, मूल्यों पर आधारित शिक्षा, व अच्छी नागरिकता का निर्माण आवश्यक है। इसी सबसे विवादों में कमी आ सकती है।

भारत में कानून अधिक और उससे अधिक उसका उल्लंघन होता है। Law makers and law breakers साथ–2 कार्य करते हैं। इस सबको सुधारने के लिए हमें नैतिक शिक्षा, चरित्र निर्माण और फिर राष्ट्र निर्माण की ओर सबका ध्यान आकर्षित करना होगा।

आइए हम सब स्वार्थ छोड़कर राष्ट्र निर्माण का सपना देखें।

जय हिन्द